## कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा। पत्रॉक- २ 10 5 /33-1, दिनांक, गोण्डा, नवम्बर 2.7-/2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र0, लखनऊ।

विषय:-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस0एच0-30 के किमी0 4.150 से किमी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनमूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनमूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनमूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमित के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/147236/2021) आपका पत्रांक-420/11-सी- FP/UP/ROAD/147236/2021 दिनॉक 16.08.2023

संदर्भः– महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि बहराइच-गोण्डा मार्ग एस0एच0-30 के किमी0 4.150 से किमी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आपको भेजा गया था, जिस पर भारत सरकार द्वारा आपित्तयाँ लगायी गई थी, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को निर्देशित किया गया। तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रॉक-1368/33-1, दिनॉक 01. 11.2023 व प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच ने अपने पत्रॉक-1964/33-1, दिनॉक 27.11.2023 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती ने अपने पत्रॉक-1045/33-1, दिनॉक 01.11.2023 (छायाप्रित संलग्न) द्वारा आपित्तयों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 03-03 प्रतियों में दिनॉक 21.11.2023 को इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव 02–02 प्रतियाँ मूल में संलग्नकर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः-प्रस्ताव 02-2 प्रतियाँ मूल में।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर) वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रॉक- /अ उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपि:—प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार सोनकर) वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।



## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग,गोंडा।

पत्रॉक- \360 /33-1, दिनॉक, गोंडा, अक्टूबर /2023

सेवा में,

वन संरक्षक, दवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

विषय:-

संदर्भ:-

बहराइच-गोण्डा एस0एच0-30 के कि0मी0 40.200 से 64.232 तक मार्ग के सुदृणीकरण में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2637 वृक्ष तथा

22260 पौधों के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8वी/यू०पी०/06/181/2023/एफ०सी०/295 दिनांक 10. 08.2023 पर पृष्ठांकित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 420/11सी० दिनांक 16.08.

2023 एवं आपका पत्रांक 596/33-1 दिनांक 17.08.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के क्रम में आपित्तियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 542/33-1 दिनांक 17.08.2023 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को लिखा गया, उनके द्वारा अपने पत्रांक 276/3सी/2023 दिनांक 09.10.2023 द्वारा आपित्तियों का निम्न प्रकार निराकरण किया गया है दिवरण

निम्नानुसार है:-

क्रमांक	आपित्तियाँ	उत्तरालेख
1	As per the proposal area propsed for diversion is 82.7212 Ha. But according to the KML file it is 90.89 Ha. Which is not matching. The KML file of the area proposed for diversion needs to be rectified.	been rectified and enclosed here with as annexure-1 (PAN DRIVE ATTEMED)  The same will be uploaded in parivesh portal.
2	The KML file of the chainage points needs to be provided. This needs to be updated with the KML file of the area proposed for diversion.	as annexure-2 for reference.  (PAN DRIVE ATTEMED)
3	As per the google earth imagery dated 24.12.2022 in harra range compartment no-1, partial agriculture and plantation activity has been observed.	by the concerned Kaimoor WL division mirzapur there fore, compliance provided
4	As per the google earth imagery in domkhiri compartment no-1 and robertsganj compartment no-2 the proposed CA land falls under the barren/rocky area.	by the concerned Kaimoor WL division mirzapur therefore compliance provided by
5	As per the GIS DSS the proposed CA land Harra, Tenthukar, Parsauna, Shivdwar compartment falls under the Wildlife Sanctuary area it needs to be ascertained that CA scheme is	by the concerned Kaimoor WL division mirzapur therefore compliance provided by Kaimmoor WL division mirzapur is

-					
1	in accordance with prescription of management plan.		7443,000,000		
6	As per part-II of the proposal no of trees for falling are 2250 tree in Bahraich, Forest division, 6294 trees in Shrawasti Forest division and 24897 trees in Gonda Forest division (total 33441trees) which is not	parivesh a state gont i inspection forest depa	is well as require cor report (JII irtment, th	forwarding rection as () issued be difference	
	matching with total filling of trees proposed on state Govt. forwading letter i.e., 35693 trees this needs clarification.	Forest division	As per JIR	As per part-II	As per state forwading letter
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFOs of respective division needs to be submitted.	disposal sc signatory submitted	theme duly of user in the for s duly u	signed by agency est diversi	and muck y authorized has been on proposal n part-I of
8	Plantation scheme for road side plantation needs to be submitted.	Road site here with a			is enclosed
9	Noc from concerned dept (like road, irrigation, railway etc) needs to be submitted.	Noc from enclosed l from con structure a	Railway d nere with cerned i across can	epartment as annex rrigation als, which	for ROB is cure-6. Noc department h is in the fore stage-II
10	The site inspection report of the concerned conservator of forest needs to be submitted.	The site	n part-II	of parive	of CF as sh portal is

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है।

भवदीय,

प्रभागीय व्यमाधिकरी प्रण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच। पत्रांक 19/4 /2-6, दिनांक, बहराइच, अक्टूबर, **२**७ /2023.

सेवा में,

वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

विषय:-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस0एच0-30 के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन मूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रमाग में प्रमावित 32.0352 हे0 संरक्षित वन मूमि एवं बाघक 24897 वृक्षों के पातन एवं श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनमूमि एवं बाघक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनमूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Road/147236/2021)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी / यू०पी० / 06 / 161 / 2023 / एफ०सी० / 295 दिनांक 10-08-2023, मुख्य संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-420 / 11-सी-FP/UP/Road/147236/2021, दिनांक 16-08-2023

पत्रांक-596 / 33-1, दिनांक 17-08-2023 व पत्रांक-1181 / 33-1, दिनांक 22-09-2023 ।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगायी है, जिसका निराकरण कर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराइच ने अपने पत्रांक—276/3सी/2023 दिनांक 09—10—2023 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित

किया गया है। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी बिन्दवार आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार है :

ΞΛ	निया है। उपरा राज्यामरा पत्र द्वारा लगाया गया बिन्दुवा	र आपारत का निराकरण निम्न प्रकार ह :-
화0	किमयाँ	आख्या
सं0		
1	2	3
1	As per the proposal area proposed for diversion is 82.7212 ha. But according to the KML file it is 90.89 ha. Which is not matching. The KML file of the area proposed for diversion needs to be rectified.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
2	The KML of the chainage points needs to be provided.  This needs to be updated with the KML file of the area proposed for diversion	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है।
3	As per the google earth imagery dated 24.12.2022, in Harra Range Compartment no.1, partial agriculture and plantation activity has been observed.	प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। आख्या संलग्न है।
4	As per the google earth imagery in Domkhiri Compartment no.1 and Robertsganj Compartment No.2 the proposed CA land falls under the Barren/Rocky area.	प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। आख्या संलग्न है।
5	As per the GIS DSS the proposed CA land Harra, Tenthukar, Parsauna, Shivdwar compartment falls under the Wildlife Sanctuary area. It needs to be ascertained that CA scheme is in accordance with prescription of Management Plan.	प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर दिया गया है। आख्या संलग्न है।
6	As per Part II of the proposal, No. of trees propsed for falling are 2250 trees in Bahraich Forest division, 6294 trees in Shrawasti forest division and 24897 trees in Gonda forest division. (Total 33441 trees) which is not matching with total felling of trees proposed on State Govt. forwarding letter i.e., 35693 trees. This needs clarification.	इस वन प्रभाग से सम्बन्धित नही है। श्रावस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित है।
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFOs of respective division needs to be submitted.	आपितत का निस्तारण कर दिया गया है।

Scanned with CamScanner

8	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	
9	NOC from concerned dept. (like Road, Irrigation, Railway etc.) needs to be submitted.	
10	The Site Inspection Report of the concerned Conservator of Forest needs to be submitted	पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव में स्थलीय निरक्षण रिपोर्ट लगा हुआ है। अतः पुनः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आपित्तियों का निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेखों की 03 प्रतिया मूल म

प्रस्ताव के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

यथोपरि। संलग्नक :--

(2)

(संजय शर्मा) प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रमाग, बहराइच।

भवदीय

पत्रांक.....अ/दिनांकित । प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ। (1) प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती।

> (संजय शर्मा) प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रमाग, बहराइच।

पत्रांक.....ब/दिनांकित । प्रतिलिपि:— अधिशासी अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, खण्ड, लो०नि०वि०, बहराइच को उनके पत्रांक-276/3सी/2023 दिनांक 09-10-2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 青1

> (संजय शर्मा) प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रमाग, बहराइच।

## कार्यालय- प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती पत्रांक 1045 / 33-1, दिनांक श्रावस्ती नवग्वर, 0:1. /2023

सेवा में,

विषय:-

वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र० गोण्डा।

बहराइच-गोण्डा गार्ग एस०एच०-३० के किं०गी० 4.150 रो किं०गी० 64.282 तक गार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रस्तावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बावक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित चनभूगि एवं वाद्यक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावरती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 है० रांरक्षित चनमूमि एवं बाद्यक 6294 वृक्षों के पातन अर्थात कुल-82.7212 हे० संरक्षित वन भूगि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुगति के सम्बन्ध गें।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन गंत्रालय लखनऊ का पत्रॉक-8बी/यू०पी०/06/161/2023/एफ.सी./295, दिनांक 10.08.2023

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयांकित एवं सन्दर्शित पत्र के कग में विन्दु संख्या-01 से 10 तक लगाई गयी आपत्ति का निस्तारण कर आनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर तीन प्रति मूल में

संलग्नकर आपकी सेवा में सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेपित है।

5
- 1
1
·
8
है
B
4
है
4
है
गाग
धित हो
टिवश
ही
हैं ।
1

Van Bandobast doc-2020-21

100	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	The state of the s
9	The sale to be sale integ.	The state of the s
10	The Site Inspection Report of the concerned Conservator of Forest needs to be submitted	_

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(धर्मेन्द्र नाय सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग श्रावस्ती।

Van Bandobast doc-2020-21